न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी

मु0नं0–287 / 2022 किस्म–दावा तारीख रजू–09.09.2022

उनवान

ग्राम पंचायत अकबरपुर, जरिये सरपंच अनीता गुर्जर, ग्राम पंचायत अकबरपुर, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी, जिला–करौली (राज0)

—वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील–श्रीमहावीरजी, जिला–करौली
2. माफी मंदिर श्री बृजनन्दन जी, अकबरपुर, जरिये पुजारी अवधेश शर्मा, निवासी–अकबरपुर, तहसील–श्रीमहावीरजी, जिला–करौली

— प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक–19.04.2023

दावा बावत्–घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती

संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि उक्त वाद वादी द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1250 / 2 रकवा 1 बीघा, मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 आबादी की भूमि रही है। आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 01 वाद पत्र की भूमि आबादी की होने के कारण ग्राम पंचायत की भूमि रही है, जो पूर्व में ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी होने के कारण उसमें वैस्ट करती थी, जिसमें से ग्राम [illegible] श्रीमहावीरजी द्वारा कुछ भूमि के पट्टे पुरुषो[illegible] तथा शेष भूमि खाली आबादी की पंचायती भूमि रही, इससे स्पष्ट [illegible] कि उक्त भूमि आबादी की भूमि रही है। आ[illegible] 1246 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा स्थित ग्राम अकबरपुर, तहसील–हिण्डौनसिटी हाल श्रीमहावीरजी हरप्रसाद पुत्र मूलाराम जाति ब्राह्मण की खातेदारी की भूमि रही है। दौराने सैटलमेंट, सैटलमेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh [illegible]
Harsolia
Date: 2024.01.09 12:29:11
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कर्मचारियों ने गलत तरीके से विधि विरुद्ध रूप से बिना किसी अधिकार के आराजी साबिक खसरा नम्बर 1250/2 रकवा 1 बीघा आबादी भूमि को गलत व विधि विरुद्ध तरीके से बिना किसी अधिकार क्षेत्र के व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खसरा नम्बर साबिक 1246 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा स्थित ग्राम अकबरपुर में मिलाकर उसका नया नम्बर 2698 रकवा 81 ऐयर ग्राम अकबरपुर में विधि विरुद्ध तरीके से प्रतिवादी नम्बर 02 की खातेदारी में कायम कर दिया, जबकि खसरा नम्बर साबिक 1250/2 रकवा 1 बीघा वादी की खातेदारी व कब्जे की आबादी भूमि रही है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 02 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और ना ही उक्त भूमि से कभी कोई वास्ता रहा, बल्कि आबादी की उक्त भूमि में ग्राम पंचायत का प्रारम्भ से ही कब्जा व मालिकाना हक रहा है व उसकी खातेदारी की भूमि रही है, जिससे अन्य किसी का कोई वास्ता नहीं है तथा उक्त भूमि में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पुरूषोत्तम श्रोत्रिय को आबादी भूमि के अनुरूप उक्त भूमि में पट्टे जारी किये गये, शेष भूमि खाली रही, इसलिये उक्त भूमि वादी के कब्जे व स्वामित्व की भूमि स्पष्ट साबित है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता या सम्बंध किसी प्रकार का नहीं है। सैटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों को मुताबिक कानून केवल राजस्व रिकॉर्ड के पिछले इन्द्राजात को रिपीट करना मात्र था, कानूनन सैटलमेंट वाले राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तन नहीं कर सकते, मगर सैटलमेंट कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादी की आबादी की भूमि खसरा नम्बर साबिक 1250/2 रकवा 1 बीघा को विधि विरुद्ध तरीके से साबिक खसरा नम्बर 1246 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा के साथ शामिल करते हुए गलत तरीके से नया खसरा नम्बर 2698 रकवा 81 ऐयर कायम कर उसे विधि विरुद्ध रूप से प्रतिवादी नम्बर 02 के नाम अंकित कर दिया और दौराने सैटलमेंट उक्त मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 1250/2 का कोई नया खसरा नम्बर कायम नहीं किया, जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Harsolia
Date: 2024.01.09 12:29:11
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नम्बर साबिक 1246 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 1250/2 रकवा 1 बीघा दोनों को मिलाने पर कुल रकवा 3 बीघा 6 बिस्वा का 81 ऐयर बनता है। इससे स्पष्ट है कि सैटलमेंट वालों ने आबादी की भूमि खसरा नम्बर 1250/2 रकवा 1 बीघा को गलत रूप से खसरा नम्बर 1246 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा के साथ शामिल करते हुए उसका नया खसरा नम्बर 2698 रकवा 81 ऐयर विधि विरुद्ध रूप से कायम किया है। उक्त स्थिति साबिक खसरा नम्बरान 1250/2 व 1246 के साबिक नक्शा ट्रेस से भलीभांति स्पष्ट होती है। इसलिये वादी उक्त भूमि खसरा नम्बर साबिक 1250/2 रकवा 1 बीघा की आराजी को हाल खसरा नम्बर 2698 रकवा 81 ऐयर में से हजफ कराकर उसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में अपने हक में दर्ज कराकर उसकी घोषणा कराने व उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कराने का अधिकारी है। आराजी हाल खसरा नम्बर 2698 रकवा 81 ऐयर वर्तमान में ग्राम पंचायत अकबरपुर में वैस्ट करता है तथा उक्त खसरा नम्बर में ही सैटलमेंट वालों ने गलत तरीके से ग्राम पंचायत की आबादी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1250/2 रकवा 1 बीघा को लगा कर उसे गलत तरीके से प्रतिवादी नम्बर 02 के नाम खातेदारी में अंकित कर दिया है, जिसे प्रतिवादी नम्बर 02 की खातेदारी से हजफ किया जाकर उसमें से 25 ऐयर भूमि को ग्राम पंचायत अकबरपुर की आबादी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाकर दुरुस्ती किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। 28.07.2022 को वादी ने प्रतिवादी नम्बर 01 को खसरा नम्बर हाल 2698 रकवा 81 ऐयर स्थित ग्राम अकबरपुर में से 1 बीघा अर्थात 25 ऐयर भूमि कम कर उसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 1 में वादी के नाम आबादी में दर्ज कर इन्द्राज दुरुस्ती करने व प्रतिवादी नम्बर 02 से उक्त भूमि 1 बीघा को वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु कहा तो वह इनकार हो गये और प्रतिवादी नम्बर 01

Signature Not Ver
Digitally signed by Su
Harsolia
Date: 2024.01.09 12:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ने न्यायालय में चाराजोही करने के लिये कहा, इसलिये दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, जो बाद तामील शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी नम्बर 01 ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 1250/2 रकवा 1 बीघा मुताबिक जमाबंदी संवत 2033–36 आबादी भूमि रही है तथा संवत 2033–36 में साबिक खसरा नम्बर 1246 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा हरिप्रसाद पुत्र मूलाराम जाति ब्राह्मण की खातेदारी में रही है व उक्त खसरा नम्बर 1250/2 रकवा 1 बीघा का मिलान क्षेत्रफल में भू–प्रबंधक विभाग ने हाल खसरा नम्बर नहीं दर्शाया है। हाल खसरा नम्बर 2698 रकवा 81 ऐयर, खसरा नम्बर 1246 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा मिलान क्षेत्रफल में बनाया है तथा खसरा नम्बर 2698 वेसी रकवा 1 बीघा किस खसरा नम्बर से आया है, मिलान क्षेत्रफल से पता नहीं चलता। पुराने व हाल नक्शों को ऊपर–नीचे रखने पर भी मिला हुआ प्रतीत होता है, शेष तथ्यों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुए अन्य मदों को कानूनी मद बताकर इन्द्राज दुरुस्ती का अधिकार प्रतिवादी नम्बर 01 को नहीं होना बताकर जवाब दावा पेश किया है।

प्रतिवादी नम्बर 02 ने व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश कर दावे के सभी मदों को स्वीकार किया है व मद नम्बर 05 ता 08 को वादी द्वारा स्वयं साबित करना व मद नम्बर 09 व 10 को कानूनी बताते हुए अपना जवाब दावा पेश किया है जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Harsolia
Date: 2024.01.09 12:29
Reason: SelfAttested

दावा हाजा के पक्षकारों के अभिवचन व दावे में पेश दस्तावेजातों के आधार पर न्यायालय द्वारा दो तनकीयात कायम की गई, जो निम्न प्रकार हैं:–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1 आया वादी खसरा नम्बर 2698 रकबा 81 ऐयर स्थित ग्राम अकबरपुर तहसील श्रीमहावीरजी में से साबिक रिकॉर्ड के आधार पर 25 ऐयर भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।

2. आया वादी को दिनांक 28.07.2022 को दावा हाजा हेतु विनाय दावा पैदा हुआ।

उक्त दोनों ही तनकीयात को साबित करने का भार वादी के ऊपर है, जिसके सम्बंध में वादी ने तीन गवाहान जिनमें स्वयं वादिया अनीता गुर्जर सरपंच ग्राम पंचायत अकबरपुर पीडब्ल्यू–1 व पंच ग्राम पंचायत अकबरपुर बंटी जाटव पीडब्ल्यू–2 के साक्ष्य में शपथ पत्र पेश कर न्यायालय में परीक्षित कराया है और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2033–36, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2037–40, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2033–36, प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–5 असल प्रार्थना पत्र प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु जिसकी पुश्त पर खसरा नम्बर 1250 / 2 के मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होने का इन्द्राज अंकित है, प्रदर्श–6 जमाबंदी, प्रदर्श–7 जमाबंदी संवत 2073–76, प्रदर्श–8 व 9 दो किता नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–10 प्रमाणित प्रति आदेश प्रार्थना पत्र टी. आई. उनवानी मुकदमा नवलकिशोर बनाम स्टेट तारीखी 10.09.2007 पेश कर साक्ष्य वादी बंद की गई तथा साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू–1 पुजारी अवधेश शर्मा माफी मन्दिर श्री बृजनन्दनजी श्रीमहावीरजी के बयान कराये गये जिसमें प्रतिवादी ने दावे के समस्त तथ्यों से सहमति जताते हुए यह भी कथन किया है कि साबिक खसरा न0 1246 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के हाल खसरा न0 2698 रकबा 81 ऐयर में मन्दिर बृजनन्दन का कब्जा साबिक रिकॉर्ड के अनुरूप ही 2 बीघा 6 बिस्वा (लगभग 58 ऐयर) पर ही है, शेष भुमि पर मन्दिर का किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है बल्कि उक्त भूमि आबादी की है जिसके कारण यह ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Harsolia
Date: 2024.01.09 12:29:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा वादी के अधिवक्ता द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादी व उसके गवाहान की मौखिक साक्ष्य के द्वारा व दावे में पेशशुदा दस्तावेज प्रदर्श 01 लगायत 10 द्वारा दावे को पूर्णरूपेण साबित कर दोनों ही तनकीयात को साबित करना कहा है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में पेश प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे में वादी के दावे को स्वीकार करना कहकर उनका एडमिशन बताकर दावे को पूर्णरूपेण साबित होने से डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी नम्बर 01 की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों व सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करने के उपरान्त प्रकरण के **न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु रिकॉर्ड व मौके की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट** पेश करने हेतु तहसीलदार श्रीमहावीरजी को न्यायालय हाजा के पत्रांक 1418 दिनांक 04.04.2023 द्वारा आदेशित किया गया, तत्पश्चात तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा आदेश की पालना में पत्र क्रमांक भू.अ./2023/284 दिनांक 18.04.2023 द्वारा पुनः जवाब/रिकॉर्ड व मौका की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट दिनांक 19.04.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई, जिसमें प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा दिनांक 19.04.2022 को पुनः जवाब दावा पेश किया गया, जिसमें दावे के मद नम्बर 01 ता 11 को स्वीकार करते [illegible] के जवाब दावा के तथ्यों का ही उल्लेख किया गया है, जो शामिल पत्रावली किया गया एवं तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा पुनः [illegible] मौका एवं रिकॉर्ड की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया है कि हाल खसरा नम्बर 2698 रकवा [illegible] अकबरपुर का साबिक व हाल रिकॉर्ड व मौका से मिलान किया गया। साबिक खसरा नम्बर 1246 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 2698 रकवा 0.81 है0 मौके पर मूल साबिक खसरा नम्बर 1246 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा से रकवा बरारी 0.58 है0 होता है, जिसमें 0.23

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Ve
Digitally signed by Su
Harsolia
Date: 2024.01.09 12:
Reason: SelfAttested

है0 भूमि गत के मुकाबले वेसी है। साबिक खसरा नम्बर 1250/2 रकबा 1 बीघा जिसका हाल रकवा 0.25 है0 होता है का मिलान क्षेत्रफल में उल्लेख दर्ज नहीं है, परन्तु वेसी रकवा मौके पर गत रिकॉर्ड से मिलाने करने पर खसरा नम्बर 2698 व 2694 में मिलान मुताबिक रिकॉर्ड प्रतीत होता है। मौके पर बाद अवलोकन सीमाज्ञान किये जाने पर खसरा नम्बर 2698 में रकवा 0.21 है0 तथा खसरा नम्बर 2694 में 0.04 है0 साबिक रिकॉर्ड के हाल रिकॉर्ड से मिलान करने पर मौके पर दर्शित होता है, **जिसमें मौके पर उक्त रकवा में आबादी बसी हुई है।** इस सम्बंध में तरमीम नक्शा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है।

पूर्वानुसार तनकीयात को साबित करने के लिए वादी ने दस्तावेज प्रदर्श–01 लगायत 10 पेश किये हैं और उन्हें वादी का बयान कर साबित कराया है। बतौर साक्ष्य में प्रदश 10 जिसमें न्यायलय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के मुकदमा न0 88/07 व उनवान नवल किशोर बनाम स्टेट के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में भी उपर्युक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत आराजी 25 ऐयर को ग्राम पंचायत अकबरपुर की आबादी भूमि मानते हुए प्रार्थी नवल किशोर के पक्ष में प्रतिवादी गण सरकार जरिये तहसीलदार एवं मुर्ति श्री बृजनन्दन महाराज को अस्थायी निषेधाज्ञा से ता फैसला पाबन्द किया है। इसी प्रकार की आदेशिका में इस भूमि पर प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने एवं मौके पर आबादी बसे होने जैसे तथ्यों की पुष्टि की गयी है। इस सम्बंध में वादी के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 01 से तलब की गई मौका रिपोर्ट में भी वादी के रकवे को सैटलमेंट के दौरान समाप्त करने के तथ्य को स्पष्ट रूप से साबित होना कहा है और प्रतिवादी नम्बर 02 द्वारा उक्त तथ्य की ताईद अपने जवाब दावा व

Signature Not Ver
Digitally signed by Sur
Harsolia
Date: 2024.01.09 12:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपनी साक्ष्य से कहने से स्पष्ट रूप से साबित होना कहकर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत् घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, साक्ष्य एवं विद्वान वकीलों की बहस पर मनन करने व प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व पेश की गई मौका व रिकॉर्ड की अद्यतन रिपोर्ट व वादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य व प्रतिवादी नम्बर 02 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब का अवलोकन कर प्रकरण में उपलब्ध समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर आया है कि खसरा नम्बर 1250/2 रकवा 1 बीघा गै0मु0 आबादी की भूमि रही है, जो कि साबिक रिकॉर्ड से साबित है, जिसका दौराने सैटलमेंट कोई मिलान क्षेत्रफल नहीं बनाया गया और ना ही उसकी कोई जमाबंदी कायम की गई। उक्त भूमि का रकवा जो कि गै0मु0 आबादी पंचायत क्षेत्र का रकवा था, उसमें से खसरा नम्बर 2694 में 0.04 है0 तथा खसरा नम्बर 2698 में 0.21 है0 भूमि जोड़कर इनका रकवा बढ़ा दिया गया। जो कि वेशी रकवा है तथा उक्त स्थिति नई व पुरानी नक्शासीट को ऊपर–नीचे रखने पर भी मिला हुआ प्रतीत होता है। इस सम्बंध में प्रतिवादी नम्बर 01 तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा अपने जवाब दावे व अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में मुताबिक तनकीयात वादी द्वारा अपने दावे को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णरूपेण साबित किया है और वादी का दावा उक्त आधार पर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Ve
Digitally signed by Su
Harsolia
Date: 2024.01.09 12:2
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः दावा वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 2698 में से 21 ऐयर रकवा तथा खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

2694 में 04 ऐयर रकवा कम किया जाकर उसे गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत अकबरपुर के नाम दर्ज कर उनका अलग खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा उक्त अनुसार ही नए खसरा नम्बरान को साबिक खसरा नम्बर 1250/2 रकवा 1 बीघा के नए नम्बर कायम करते हुए उनका मिलान क्षेत्रफल कायम कर इसी अनुरूप राजस्व नक्शासीट में लाल स्याही से दुरुस्ती कर तरमीम की जावे तथा इस आशय की तहरीर प्रतिवादी नम्बर 01 तहसीलदार श्रीमहावीरजी को जारी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सुरेशकुमार हरसोलिया

उपखण्ड अधिकारी,

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2024.01.09 12:29:11 IST
Reason: SelfAttested